## न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

**अपील सख्याः–131/13**

1. दाखा देवी पत्नी बद्रीनारायण, जाति जाट, निवासी ग्राम बदनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

**––अपीलान्ट**

**बनाम**

1. नानगा (मृतक दौराने अपील) पुत्र भक्ता, जाति बलाई, निवासी ग्राम बदनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
   - 1/1. साझा देवी पत्नी स्व. नानगा,
   - 1/2. नाथू पुत्र स्व. नानगा,
   - 1/3. लाला पुत्र स्व. नानगा,
   - 1/4. जगदीश पुत्र स्व. नानगा,
   - 1/5. बाबूलाल पुत्र स्व. नानगा,
   - 1/6. नच्छीलाल पुत्र स्व. नानगा, निवासीयान ग्राम बदनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
   - 1/7. गोपाली पुत्री स्व. नानगा पत्नी बद्री निवासी गॉव चंदलाई, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
   - 1/8. कानी पुत्री स्व. नानगा पत्नी हनुमान निवासी ग्राम गणेशपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

**–– रेस्पोडेन्ट्स**

**निर्णय**

**दिनांकः 16.10.17**

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर के आदेश दिनांक 12.03.2013 (प्रकरण संख्या 188/12) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.03.2013 पारित करने से पूर्व प्रकरण में निहित तथ्यों मौके पर कब्जा, विधिक स्थिति सुविधा संतुलन एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर विचार नही किया गया है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नही किया गया कि उपरोक्त नामान्तरकरण अपीलार्थीया के पक्ष मे रजिस्टर्ड उपहार पत्र के आधार पर खोला गया है, जिसे विधिक प्रक्रिया से अंतिम रूप से निरस्त करवाये बिना अपीलार्थीया के पक्ष में खोला गया नामान्तरकरण निरस्त नही किया जा सकता, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में ऐसा कोई दस्तावेज नही है लेकिन इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली से परे जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.03.2013 पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

**P.T.O.**

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर भी गौर नही किया गया गया कि जिस समय अपीलार्थीया के पक्ष में उपहार रजिस्टर्ड हुआ है तथा उक्त उपहार पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खोला गया, उस समय किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश पारित नही था, जिस आधार पर उक्त उपहार पत्र पूर्णतया विधिक व सही है जिसकी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पूर्णतया जानकारी आरम्भ से ही रही है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की अनदेखी करते हुऐ आक्षेपित निर्णय पारित कर भारी कानूनी भूल की है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पूर्व खातेदार मोहरू की मृत्यु हो जाने पर भी उसके वारिसान का प्रकरण में जानबुझकर पक्षकार नही बनाया गया है, इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2013 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/8 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त उनवानी अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर के निर्णय दिनांक 12.03. 2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है इस मामले में निवेदन है कि डिक्री दिनांक 27.06.1968 में रेस्पोडेन्ट नानगा व मोहरू के मध्य हुये राजीनामा पर आधारित है एवं इसके बाद पुनः दिनांक 30.11.1996 में न्यायालय कनिष्ठ न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग सांगानेर जिला जयपुर के निर्णय व डिक्री के अन्तर्गत नानगा को अनुतोष मिला हुआ है। उन्होन कथन किया है कि मोहरू के देहान्त के बाद भी इस मामले में अनुसूचित जाति के परिवार के विरूद्ध नाहक ही मुकदमेंबाजी किये जाकर मुकदमेंबाजी को बढावा दिया जा रहा है जबकि न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (क्र.सं. –5) जयपुर महानगर जयपुर ने भी दीवानी विधिक अपील संख्या 80/11 के अन्तर्गत अपीलान्ट दाखा की अपील दिनांक 05.11.2011 को ही खारिज कर दी थी इस तरह राजीनामा होने के बाद एवं सिविल न्यायालय के डिक्री व आदेश के उपरान्त 80 रूपये अदायगी के उपरान्त भी मोहरू के वारिसान जिसमें उसकी पुत्रवधु दाखा देवी की तरफ से चाराजोही की जा रही है, जो निराधार है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 लगायत 1/8 ने कथन किया है कि राजीनामा दिनांक 27.06.1968 को हो चुका है उसके बारे में बार–बार नुक्ताचीनी करने के अधिकार मोहरू के वारिस दाखादेवी को उपलब्ध नही है, अगर उसे राजीनामें से कोई गुरेज है तो अलग दावा सिविल कोर्ट में दावा करना चाहिये जो न करके निर्धारित प्रक्रिया में अपीलेट कोर्टो से नानगा के वारिसान को अनुतोष मिलने के बाद नाहक ही परेशान करने की गरज से अनुसूचित जाति के लोगों पर बार–बार अपीले करके आर्थिक रूप से परेशान

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

किया जा रहा है। उन्होने कथन किया है कि अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में दलील दी है कि रजिस्ट्री कैन्सिल का दावा नही किया एवं नानगा के वारिसों को अधीनस्थ न्यायालय में रिकार्ड पर नही लिया, इन दोनों आपत्तियों के बारे में निवेदन है कि मामला सिविल न्यायाधीश से अन्तिम रूप से दिनांक 30.11.1996 को ही निर्णित हो गया था तो रेस्पोडेन्ट को गैर कानूनी रूप से सिविल कोर्ट से निर्णय होने के उपरान्त जो रजिस्ट्री करवाई है उसको कैन्सिल कराने की आवश्यकता नही है एवं जहॉ तक नानगा के वारिसों को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही बनाये जाने के बारे में एतराज अपीलान्ट को है उससे अपील खारिज नही की जा सकती है। अतः सिविल न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय से हुऐ निर्णय के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जावे जिससे अनुसूचित जाति के काश्तकारों को राहत मिल सके।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 25.11.2010 को स्वीकार किया गया है जबकि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य सिविल न्यायालय मे वाद विचाराधीन रहे है। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण की कार्यवाही से पूर्व सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर गौर नही किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2013 से प्रकरण तहसीलदार सांगानेर के रिमाण्ड किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर कलक्टर, प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2013 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।